

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

~~कमलेश~~ बनाम उदा (कौरा)

कसम मुकदमा प्री-पग 111-128 नं० 13 सन् 2022

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
---	----------------------------------	---

22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29.3.22 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

³/₂₀₂₁ पत्रावली पेश हुई, वकील प्राणीगण उपाखिल, उपाणीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शिपिअणिअपावली किये गये। तबसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.पठ किया गया। वकील प्राणीगण के बहस करनी चाही। बहस हुकी गयी। अपाणीगण को खिनी मतीवाअवापे खिलायी जकि के बाद ही उपाखिल नही। उनके विरुद्ध एकलप्रा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्राणीगण का प्रारपत्र स्वीकार किया जाकर किरियपसकसे विवाअरुट आउपर किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर जम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 13/2022

1- श्री कमलेश पुत्र हीरा लाल गुजर नाबालिग जयिं सरसक भाल सायरी
पति हीरा गुजर निवासी मंगलपुरा चान्दरास तहसील माण्डल वर्गक
-प्रार्थी

बनाम

1- श्री उदा पिता धोगा गुजर निवासी मंगलपुरा तहसील माण्डल वर्गक

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का चान्दरास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2837, 2839, 2841 कुल कित 04 रकबा 0.3161 बीघा 1892, 1894, 1897 बिस्वा स्थित है। चान्दरास भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06/01/2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि चान्दरास भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का चान्दरास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2837, 2839, 2841 कुल कित 04 रकबा 0.3161 बीघा 1892, 1894, 1897 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चान्दरास को 500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा